


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक: 1 (16)ग्रावि/नरेगा/IPPE/2014-15 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक :

7 DEC 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,

डूंगरपुर, बांसवाडा, टोंक, झालावाड, अजमेर, उदयपुर, कोटा, चुरू, जालौर, जैसलमेर,
जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, बारां, बाडमेर, भीलवाडा, राजसमंद, सवाई माधोपुर,
सिरोही, करौली एवं चित्तौड़गढ़ राजस्थान।

विषय :-मिशन अन्त्योदय (आईपीपीई- II अन्तर्गत कन्वर्जेंट प्लानिंग) के संबंध में एमआईएस एन्ट्री बाबत।

महोदय,

आपीपीई- II के क्रियान्वयन हेतु राज्य में चयनित 22 जिलों एवं 84 पंचायत समितियों की 2804 ग्राम पंचायतों में योजनाबद्ध तरीके से सर्वे कार्य पूर्ण कर ग्राम, पंचायत समिति एवं जिला स्तर से कार्य योजना का अनुमोदन पश्चात एमआईएस में एन्ट्री दिनांक 20.12.2015 तक किये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मिशन अन्त्योदय अन्तर्गत पीओ लॉगिन पर निम्न सूचनाओं की एन्ट्री हेतु लिंक उपलब्ध है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मिशन अन्त्योदय के संबंध में गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। आईपीपीई- II अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन कार्य भी केन्द्रीय स्तर पर किया जा रहा है। राज्य में उक्त सूचनाओं की आदिनांक की स्थिति निम्नानुसार है, जो संतोषजनक नहीं है :-

विषय	प्रगति
महात्मा गांधी नरेगा - एसईसीसी पंचायत मॅपिंग	165 ग्राम पंचायतों की एन्ट्री शेष
कन्वर्जेंट प्लानिंग हेतु आयोजित ग्राम सभा संबंधी रिपोर्ट	735 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजन की एन्ट्री शेष
आईपीपीई - II सर्वे डेटा एन्ट्री	सर्वे किये गए परिवारों की संख्या मात्र 1611
एसईसीसी बेस फार्म की एन्ट्री पूर्ण किये जाने की सूचना संबंधी रिपोर्ट	मात्र 17 ग्राम पंचायतों की 1585 सर्वे प्रपत्रों की एन्ट्री

उक्त सूचनाओं की एन्ट्री की स्थिति nrega.nic.in वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एमआईएस के रिपोर्ट के R20. ऑप्शन पर क्लिक कर देखी जा सकती है। अतः आपके जिले से संबंधित समस्त ग्राम पंचायतों की उक्त सूचनाओं की एन्ट्री आवश्यक रूप से अविलम्ब किया जाना सुनिश्चित करावे।

32

परि.निदे. एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 2 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- 3 परियोजना निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
- 4 परियोजना निदेशक (मो0 एवं मू0), ग्रामीण विकास विभाग।
- 5 परियोजना निदेशक ME & L, राजीविका, उद्योग भवन, जयपुर।
- 6 वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
- 7 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा/डीपीएम, राजीविका (आईपीपीई- II में चयनित जिले)
- 8 विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी/डीपनिंग मैनेजर, राजीविका (आईपीपीई- II में चयनित पंचायत समिति)
- 11 सम्बन्धित CSO (प्रदान/उन्नति/सृजन)।
- 12 रक्षित पत्रावली।

को 8/12

अधिशाषी अभियंता (ए), ईजीएस